न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 52/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

बनाम .....प्रार्थी

गोयल गैस स्टोव एण्ड लाइट वर्क्स, आगरागेट, अजमेर जरिये श्री गोविन्द नारायण एवं श्री रूपनारायण पुत्र स्व0 श्री मगनीराम गोयल, निवासी–अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 02.01.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूप्योग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी की शॉप पर 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर जिसमे रबर पाईप व रेग्यूलेटर लगा पाया गया जिसक अप्रार्थीगण द्वारा कोई संतोषजनक जवाब दिया एवं ना ही इससे संबधित कोई दस्तावेज पेश किया गया। अप्रार्थी की शॉप पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डर जिसमे रबर पाईप व रेग्यूलेटर लगा पाया जाना गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग की पुष्टि पाये जाने पर गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	5770660	-	19	19.5	5	Comm.

को कब्जेराज लिया गया। गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रयान गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री अय्युब खान पुत्र श्री कय्युम खान निवासी फकीराखेडा, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा एक गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 17.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया गया। बिना वैध दस्तावेज के गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गये गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत् अप्रार्थी द्वारा कोई अविधिक कृत्य कारित नही किया गया है। अप्रार्थी के विरूद्ध सम्पादित की गई सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से दर्ज प्रकरण को खारिज किया जाकर जब्तशुदा गैस सिलेण्डर लौटाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र तथ्यों का खण्डन करते। वक्त जांच उनकी शॉप पर बिना वैध दस्तावेज के गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner